कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलुम्बर

प्रार्थी श्री नारायणलाल
कस्म मुकदमा धारा–111, 128 भू–राजस्व अधिनियम

विपक्षी सरकार
प्रकरण संख्या 51 / 2024

कार्यवाही विवरण

09–09–2024	–::निर्णय::–

उपस्थितः– श्री गोपाल चौबिसा अधिवक्ता – प्रार्थी
पेरोकार सरकार तहसीलदार झल्लारा

प्रार्थीगण ने अपना प्रार्थना पत्र पेश कर अंकित किया कि मौजा झल्लारा पटवार हल्का झल्लारा तहसील झल्लारा मे प्रार्थीगण के खातेदारी कृषि भूमि आराजी नम्बर 1917 रकबा 0.12 हैक्टेयर (नये नम्बर 3595 / 1917) तथा आराजी नम्बर 1918 रकबा 0.32 हैक्टेयर (नये नम्बर 3566 / 1988) कुल किता 2 रकबा 0.44 हैक्टयर भूमि स्थित है। सीमा को लेकर प्रार्थीगण एवं पडोसी खातेदारो के मध्य में कई बार विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मौके पर पटवारी हल्का जो पूर्व में भी सीमांकन करने आये थे लेकिन प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात के पडौसीयों ने सीमाकंककन नही करने दिया इसलिये मजबुर होकर प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र पेश करना पड रहा है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण की आराजीयात की भूमि की पत्थरगढी करने का आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी पेरोकार सरकार तहसीलदार झल्लारा हाजिर आये जिन्होने जवाब पेश कर अंकित किया कि प्रार्थीगण के आराजीयात की भूमि हेतु पत्थरगढी के आदेश किये जाने पर कोई आपत्ति नही होना जाहिर किया।

पत्रावली मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई।. प्रार्थीगण की बहस अपने प्रार्थना पत्र अनुसार रही तथा विपक्षी की बहस अपने जवाब के अनुसार रही।

बहस मनन की गई तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात / रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे वर्णित मौजा झल्लारा पटवार हल्का झल्लारा तहसील झल्लारा की जमाबंदी संवत् 2075–2078 की खाता संख्या 534 आराजी नम्बर 1917 रकबा 0.12 हैक्टेयर (नये नम्बर 3595 / 1917) तथा आराजी नम्बर 1918 रकबा 0.32 हैक्टेयर (नये नम्बर 3566 / 1988) कुल किता 2 रकबा 0.44 हैक्टयर भूमि का प्रार्थीगण रेकार्डेड खातेदार होकर नाम दर्ज अंकित है। प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजीयात की पत्थरगढी करवाये जाने के अधिकारी पाये जाने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित समझता है।

–:आदेश:–

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा झल्लारा पटवार हल्का झल्लारा तहसील झल्लारा की जमाबंदी संवत् 2075–2078 की खाता संख्या 534 आराजी नम्बर 1917 रकबा 0.12 हैक्टेयर (नये नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
सलूम्बर, जिला सलूम्बर

3595/1917) तथा आराजी नम्बर 1918 रकबा 0.32 हैक्टेयर (नये नम्बर 3566/1988) कुल किता 2 रकबा 0.44 हैक्टयर भूमि की राजस्व रेकार्ड अनुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है।

प्रार्थीगण को निर्देशित किया जाता है कि मौके पर पत्थरगढी किये जाने हेतु पत्थर मय मजदूर खडडा करने एवं रोपने के लिये तहसीलदार को उपलब्ध करवाएं। साथ ही भू-अभिलेख निरीक्षक/पटवारी हल्का को पाबंद किया जाता है कि प्रार्थीगण से पत्थरगढी शुल्क तहसीलदार, भू.अ. नि. व पटवारी का एक दिन का वेतन मय वाहन खर्च राजकोष में जमा हो। पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किये जाकर मौके पर मौतबीरान की उपस्थिति में प्रार्थीगण की उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढी करे। इस आशय की तहरीर तहसीलदार सलुम्बर के नाम जारी की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09/09/24 को सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर सलुम्बर
सलुम्बर, जिला-सलुम्बर (राज.)

(पर्वत सिंह चुण्डावत RAS)
उपखण्ड अधिकारी
सलुम्बर